न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

(84)

निगरानी 527-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

अभिषेक कुमार चौरसिया तनय श्री नरेश चन्द्र चौरसिया निवासी जेल रोड़ रीवा म0प्र0
आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. सरोज कुमार पत्नी राजभान प्रजापति
2. दिनेश कुमार तनय राजभान प्रजापति दोनो निवासी ललपा रीवा जिला रीवा म0प्र0

अनावेदकगण / गैर निगरानीकर्ता

13.3.15

13-3-15

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार तहसील गुढ़ के राजस्व प्रकरण कमांक 2 अ 3 / 2013–14 के आदेश पत्रिका दिनॉक 15.01.2015
अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

निगरानी आवेदन पत्र के सूक्ष्म तथ्य :–

13/3/15

यह कि ग्राम खाम्हा पटवारी हल्का रीठी तहसील गुढ़ में स्थित आराजी खसरा कमांक 140 / 2 रकवा 0.020 हे0 का आवेदक मालिक भूमि स्वामी व काबिज अधिकारी है दिनॉक 31.12.2013 को अनावेदकगणों ने आवेदक के उक्त भूमि को जबरन कब्जा करने की नियत से बालू , गिट्टी व ईटा गिरवा दिया था एवं पिलर खोदवाने की तैयारी कर रहे थे आवेदक के मना करने पर भी नहीं मान रहे थे तब आवेदक ने तहसीलदार तहसील गुढ़ के न्यायालय में बेदखली प्रकरण संहिता की धारा 250 / 32 के अधीन अनावेदकगणों के विरूद्ध दिनॉक 01.01.2014 को दायर किया उसी दिनॉक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया एवं जबरन किये जा रहे निर्माण कार्य पुलिस बल के द्वारा बन्द कराया गया दिनॉक 02.01.2014 को अनावेदिका सरोज कुमारी द्वारा फर्जी तरीके से अपने पट्टे की आराजी नं0 140 / 8 एवं 140 / 11 का अतिकमणित स्थान पर नक्शा तरमीम किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गुढ़ से सॉठ गॉठ कर अपने फायदे के अनुकूल दिनॉक 03.01. 2014 को एक ही स्थान पर 140 / 8 एवं 140 / 11 को तरमीम कर राजस्व निरीक्षक गुढ़ ने अधीनस्थ न्यायालय में तरमीम प्रस्तुत किया गया जिसकी आपत्ति आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई एवं आवेदक ने अपने स्वत्व की आराजी नं0 140 / 2 रकवा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-527-तीन/2015 जिला रीवा

अभिषेक विरूद्ध सरोज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील गुढ़ जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 15-01-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	